न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बहराइच।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1490/2026

(CNR No.UPBH010039832026)

शुभम गौड़ आयु 32 साल पुत्र सतीश उर्फ सत्तन, निवासी–डिहवा कलां, थाना–बौण्डी, जनपद–बहराइच––– ––––आवेदक/अभियुक्त।

प्रति

राज्य उ०प्र०––– ––––अभियोगी।

एवं

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1494/2026

(CNR No.UPBH010039822026)

शिवम गौड़ आयु 30 साल पुत्र अशोक कुमार गौड़, निवासी–डिहवा कलां, थाना–बौण्डी, जनपद–बहराइच––– ––––आवेदक/अभियुक्त।

प्रति

राज्य उ०प्र०––– ––––अभियोगी।

अपराध संख्या–58/2026,
धारा–319(2), 318(4), 338, 336(3),
340(2), 316(5) बी०एन०एस०,
थाना–कोतवाली देहात, जनपद–बहराइच।

–––

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र

25.07.2026

1. थाना–कोतवाली देहात, जनपद–बहराइच के अपराध सं०–58/2026, अन्तर्गत धारा–319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(5) बी०एन०एस० के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त शुभम गौड़ की तरफ से अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सं०–1490/2026 एवं आवेदक/अभियुक्त शिवम गौड़ की तरफ से अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सं०–1494/2026 स्वयं के पृथक–पृथक शपथ–पत्रों के साथ प्रस्तुत किये गये हैं।

2. उपरोक्त दोनों अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र एक ही घटना एवं अपराध संख्या से सम्बन्धित हैं। अतएव सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त दोनों जमानत प्रार्थना–पत्रों को एकीकृत किया जाता है तथा अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सं०–1490/2026 अग्रणी रहेगा।

3. आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्रों व संलग्न शपथ–पत्रों में यह कथन किया गया कि उन्होंने सत्र न्यायालय पर उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र इस मुकदमा अपराध संख्या में प्रस्तुत नहीं किया है। उनके द्वारा कोई अन्य अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद अथवा खण्डपीठ लखनऊ में नहीं प्रस्तुत किया गया है और न ही किसी भी न्यायालय द्वारा उनका अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त ही किया गया है।

4. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि फर्म सर्वश्री मानव स्क्रैप ट्रेडर्स, सरस्वती नगर लखनऊ रोड, बहराइच (GSTIN–09BMPPR9522N2ZY) केन्द्रीय क्षेत्राधिकार में दिनांक–28.02.2025 से एफएमसीजी गुडस कपड़ो की खरीद विक्री के लिये पंजीकृत है। उपरोक्त फर्म की रेकी राज्य कर अधिकारी, खण्ड–1, बहराइच द्वारा की गयी। जांच पर फर्म बोगस एवं अस्तित्वहीन पायी गई। फर्म द्वारा कूटरचित प्रपत्रों का प्रयोग करते हुए बोगस फर्म बनाकर करापवंचन किया गया है। फर्म बोगस पाये जाने पर केन्द्रीय क्षेत्राधिकार के अधिकारियों द्वारा दिनांक–01.11.2024 को कैंसिल कर दिया गया। फर्म द्वारा माह जुलाई–24 से अक्टूबर–2024 में फर्जी आपूर्ति करते हुए रु–19515362.00 की आउटवर्ड सप्लाई करते हुए 5205536.00 की करदेयता स्वीकार की गई है,

Digitally signed by RAJESH KUMAR SINGH
Date: 2026.07.25 14:39:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जिसमें से रु–37804659.00 की करदेयता का समायोजन बिना किसी खरीद के बोगस आईटीसी से करते हुए राजस्व की क्षति किया गया है, जिसमें स्पष्ट है कि फर्म द्वारा आई०टी०सी० का गलत लाभ पहुँचाने की दृष्टि से फर्जी व छद्म रूप से अस्तित्वहीन बोगस फर्म के नाम से उक्त पंजीयन प्राप्त करते हुए टैक्स की चोरी/राजस्व क्षति पहुँचायी गयी है।

5. वादी अजय कुमार वर्मा की उक्त तहरीर के आधार पर दिनाँक–23.02.2026 को समय 15:56 बजे फर्म स्वामी श्री हीरा राम के विरुद्ध अपराध सं०–58/2026, अन्तर्गत धारा–319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी०एन०एस० के अपराध में थाना–कोतवाली देहात में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई। दौरान विवेचना मामले में आवेदकगण/अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में आया एवं धारा–316(5) बी०एन०एस० की वृद्धि की गई। मामले की विवेचना प्रचलित है।

6. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्रों मय संलग्न शपथ–पत्रों में वर्णित अभिकथनों का समर्थन करते हुये संयुक्त रूप से कहा कि उक्त मुकदमे में एस०आई०टी० टीम, बहराइच द्वारा विवेचना की जा रही है। उन्हें इस बात का विश्वास है कि पुलिस उन्हें उपरोक्त मुकदमे में गिरफ्तार करना चाहती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी द्वारा फर्म स्वामी हीराराम पिता का नाम अज्ञात महामानव ट्रेडर्स सरस्वतीनगर कोतवाली देहात का नाम दर्ज कराया गया। वे नामजद अभियुक्त नहीं हैं और न ही किसी अन्य को नामित किया गया था। दिनांक–24.07.2025 को एक प्रार्थना–पत्र 08 व्यक्तियों द्वारा दिया गया था, जिसके आधार पर डेढ़ वर्ष पूर्व उनके गांव में एक व्यक्ति आया, जिसको लोग जानते–पहचानते नहीं थे। गांव के राजितराम ने बताया कि वह उसे पहचानते हैं। उस व्यक्ति की बातों के लालच में आकर लोगों ने अपना आधार कार्ड व दो–दो फोटो दे दिया। पुनः ग्राम कनेरा बुलाकर उनसे दस्तावेज व एक–एक सिमकार्ड ले लिया और एक–दो माह में ठेलिया अनुदान दिलाने की बात कहकर चला गया, लेकिन ठेलिया अनुदान नहीं मिला। उनका न तो कोई सम्बन्ध किसी फर्म से है और न किसी के द्वारा उनको मोबाइल के सिम दिये गये हैं। उनके द्वारा फर्म रजिस्ट्रेशन हेतु न कभी किसी अभिलेख पर हस्ताक्षर किये गये हैं और न ही तथाकथित फर्म के पार्टनर रहे हैं। विवेचक द्वारा आवेदक/अभियुक्त शुभम गौड़ का बयान लिया गया था। पूछतांछ करने के बाद उनके द्वारा उसे गवाह हेतु दबाव डाला जा रहा था और यह बताया जा रहा था कि अगर वह गवाह नहीं बनेगा तो हो सकता है उसे अभियुक्त बना दिया जाये। आवेदक/अभियुक्त शुभम गौड़ द्वारा उपरोक्त मुकदमे में न्यायालय पर उपस्थित होकर वांछित सम्बन्धी रिपोर्ट प्रार्थना–पत्र दिनांक–06.05.2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच के समक्ष दिया गया था, जिस पर पुलिस द्वारा मई–2026 में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच पर अपनी आख्या भेजी गयी थी कि वह उपरोक्त मुकदमे में वांछित नहीं है, लेकिन वह सूचना देने के बावजूद भी अपना बयान दर्ज कराने हेतु नहीं आता है। उक्त आख्या के तथ्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त शुभम गौड़ द्वारा विवेचक को लिखित रूप से बयान आनलाईन विवेचक को भेज दिया था और उसके पूर्व ही सूचित किया था कि पूर्व में वे उसका बयान अंकित कर चुके हैं। लिखित बयान भी विवेचना में सम्मिलित कर लीजिये। उक्त आनलाईन प्रार्थना–पत्र के जवाब में दिनांक–15.06.2026 को विवेचक द्वारा आनलाईन सूचना भेजी गयी कि वह मुकदमे में वांछित है। आवेदक/अभियुक्त शुभम गौड़ के पिता ने दिनांक–22.04.2026 को थानाध्यक्ष बौण्डी को ग्राम चरीगाह, दा०–सिपहिया हुलास के कई लोगों के विरुद्ध शिकायत की थी कि उक्त लोग उसे फर्जी मामले में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। आवेदक/अभियुक्त शुभम गौड़ सोलर पैनल लगाने का कार्य करता है। तथाकथित एस०आई०टी० टीम द्वारा गिरफ्तार किये गये अभियुक्त आशीष गुप्ता के बयान के आधार पर आवेदक/अभियुक्त शिवम गौड़ को मुकदमा उपरोक्त व अन्य मुकदमों में अभियुक्त बनाया गया है। उक्त बयान के अतिरिक्त उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। वे अपना काम करते हैं। उनका बैंक एकाउन्ट है तथा उनके पास जो मोबाइल व सिमकार्ड उन्हीं के नाम के हैं। उक्त मोबाइलों के अतिरिक्त उनके पास अन्य कोई मोबाइल व सिमकार्ड नहीं हैं। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। वे निर्दोष हैं। उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। उपरोक्त कथनों के आधार पर याचना किया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाये।

7. राज्य की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए यह तर्क दिया है कि आवेदक/अभियुक्तगण ने सह–अभियुक्तगण के

साथ मिलकर ग्रामवासियों से सरकार द्वारा ठेलिया दिलाये जाने का लालच देकर छल, कपट व धोखाधड़ी से सिम व कागजात लेकर बोगस कागजात लगाकर बोगस फर्म के माध्यम से जी०एस०टी० की चोरी की गई। राज्य कर अधिकारी द्वारा फर्म सर्व श्री मानव स्क्रैप ट्रेडर्स जांच पर बोगस एवं अस्तित्वहीन पायी गई। बोगस फर्म सर्व श्री मानव स्क्रैप ट्रेडर्स का फर्म प्रमाण–पत्र लेते समय कूटरचित प्रमाण–पत्रों का इस्तेमाल किया गया है। बोगस फर्म द्वारा बोगस खरीद–बिक्री दिखायी गई है तथा सरकारी राजस्व की क्षति की गई है। आवेदक/अभियुक्तगण व सह–अभियुक्तगण का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में लाया गया है। आवेदक/अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास है। आवेदक/अभियुक्तगण का अन्य आपराधिक वादों में अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सत्र न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध मामले की विवेचना प्रचलित है। प्रकरण की जांच एस०आई०टी० द्वारा की जा रही है। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किया जा रहा है और न ही उनके द्वारा विवेचक के समक्ष उपस्थित होकर अपना बयान अंकित कराया गया है। यदि आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान की गई तो उनके द्वारा विवेचना में सहयोग न किये जाने व साक्ष्य को प्रभावित किये जाने की संभावना है। कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः आवेदक/अभियुक्तगण के अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य हैं।

8. अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच के तर्कों को सुना एवं उपलब्ध केस डायरी व थाने की आख्या का सम्यक् अवलोकन किया।

9. केस डायरी एवं अन्य सुसंगत प्रपत्रों के परिशीलन से प्रकट है कि आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध यह आरोप है कि उन्होंने सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर बोगस फर्म मानव स्क्रैप ट्रेडर्स का प्रमाण–पत्र लेते समय छल, कपट व धोखाधड़ी से कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग करते हुए बोगस फर्म द्वारा खरीद–बिक्री दिखाकर जी०एस०टी० की चोरी करके सरकारी राजस्व की क्षति कारित की। केस डायरी के पर्चा संख्या–03 में वादी अजय कुमार वर्मा, सहायक आयुक्त राज्य कर, खण्ड–। बहराइच ने विवेचक को अपने बयान में प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों का समर्थन किया है। केस डायरी के पर्चा संख्या–9 में साक्षी मोबाइल नम्बर 7390906851 धारक खेलावन ने विवेचक को अपने बयान में करीब दो वर्ष पूर्व शुभम गौड़ द्वारा उसके गांव आकर सरकारी योजना के तहत ठेलिया मिलने के बारे में बताने, आधार–कार्ड, एक फोटो व एक सिम देने के लिये कहने, उसके, राधेश्याम, कन्धईलाल, अवधेश, रामसमुझ, देशराज, मूलचन्द, रामलाल द्वारा अपना–अपना आधार–कार्ड, फोटो व सिम शुभम गौड़ को देने, जिसमें उसका सिम/मोबाइल नम्बर 7390906851 होने, करीब आठ/नौ महीना पहले राजस्थान पुलिस द्वारा उन लोगों से पूछतांछ करने आने, उसके द्वारा थानाध्यक्ष–बौण्डी को एक प्रार्थना–पत्र देने पर शुभम गौड़ व उसके पिता सत्यम गौड़ के थाने पर जाने, शुभम के चचेरे भाई शिवम गौड़ को खीरी लखीमपुर पुलिस द्वारा जी०एस०टी० के मुकदमे में गिरफ्तार कर जेल भेज देने, उसे उसके नम्बर–7390906851 का प्रयोग फर्जी फर्म बनाने में किये जाने के बारे में पता चलने एवं शुभम गौड़ द्वारा अपने चचेरे भाई शिवम गौड़ से मिलकर व अन्य सहयोगियों सहित बोगस जी०एस०टी० फर्म बनाकर अपराध करने का अभिकथन किया है। केस डायरी के उक्त पर्चे में ही साक्षीगण रामसमुझ, मूलचन्द्र, कन्धईलाल व काशीराम एवं केस डायरी के पर्चा संख्या–10 में साक्षी अवधेश, देशराज, रामलाल व राधेश्याम ने विवेचक को अपने–अपने बयानों में उक्त साक्षी के कथनों का समर्थन किया है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत वाद के अतिरिक्त छल, कपट व धोखाधड़ी से सम्बन्धित अन्य आपराधिक वाद पंजीकृत होने सम्बन्धी पुलिस आख्या प्रस्तुत की गई है। अभियोजन का तर्क है कि मामले में विवेचना प्रचलित है एवं साक्ष्य संकलित होना शेष है। आवेदक/अभियुक्तगण के घर पर दबिश देने पर भी वे मौजूद नहीं मिले। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है।

10. अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये मामले के गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये आवेदक/अभियुक्तगण की अग्रिम जमानत का आधार उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक/अभियुक्तगण के अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त शिवम गौड़ एवं आवेदक/अभियुक्त शुभम गौड़ की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या–58/2026, अन्तर्गत धारा–319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(5) बी०एन०एस०, थाना–कोतवाली देहात, जनपद–बहराइच में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाते हैं।

इस जमानत आदेश की एक प्रति अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1494/2026 पर रखी जाये।

(राजेश कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, बहराइच।

दिनाँकः–25.07.2026 **Id.No–UP02017**